

आदेश

सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सख्या-124/XXX-22-30(13)2017, दिनांक 08.04.2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुसार एवं राजस्व राजस्व नियम संग्रह के अध्याय-43 के पैरा-1049 के आलोक में वर्ष 2022-23 में मण्डलान्तर्गत राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के मण्डलायुक्त स्तर से एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 30.06.2022 में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/ पदनाम	वर्तमान तैनाती जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का जनपद	अभ्युक्ति
1	श्री दिनेश सिंह नाथ, राजस्व निरीक्षक	टिहरी गढ़वाल	उत्तरकाशी	स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18(3) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण।
2	श्री चन्द्रमोहन नग्वाण, राजस्व निरीक्षक	उत्तरकाशी	टिहरी	
3	श्री प्रेम प्रकाश, रजिस्ट्रार कानूनगो	चमोली	देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13(6) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर जनपद देहरादून में रिक्त पद के सापेक्ष नोट:-उक्त स्थानान्तरण के फलस्वरूप श्री प्रेम प्रकाश जनपद देहरादून में अपने संवर्ग में कनिष्ठतम रहेंगे।
4	श्रीमती वन्दना भण्डारी, राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी)	पौड़ी गढ़वाल	देहरादून	स्थानान्तरण अधि०, 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु छूट प्रदान किये जाने सम्बन्धी सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन के आदेश दि० 09.12.2021 के क्रम में जनपद देहरादून में पटवारी/लेखपाल के रिक्त पद के सापेक्ष स्थानान्तरण। नोट:-उक्त स्थानान्तरण के फलस्वरूप श्रीमती वन्दना भण्डारी जनपद देहरादून में अपने संवर्ग में कनिष्ठतम रहेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। उक्त कार्मिकों को कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना सम्बन्धित कार्मिकों को उनके वर्तमान तैनाती स्थल से नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक अपनी योगदान आख्या सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(सुशील कुमार)

आयुक्त,

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

संख्या : 720/9-9(1)(2022-23)

दिनांक: 7-7-, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 - आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 - जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/चमोली/टिहरी/पौड़ी गढ़वाल/देहरादून।
- 3 - सम्बन्धित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।
- 4 - कार्यालय प्रति।

(सुशील कुमार)

आयुक्त,

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

आदेश

सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सख्या-124/XXX-22-30(13)2017, दिनांक 08.04.2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुसार वर्ष 2022-23 में मण्डलान्तर्गत राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के मण्डलायुक्त स्तर से एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 30.06.2022 में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नलिखित तहसीलदारों को उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/ पदनाम	वर्तमान तैनाती जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का जनपद	अभ्युक्ति
1	श्रीमती सुशीला कोठियाल, तहसीलदार	पौड़ी गढ़वाल	देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13(6) के अन्तर्गत जनपद देहरादून में तहसीलदार के रिक्त पद के सापेक्ष
2	श्री चमन सिंह, तहसीलदार	उत्तरकाशी	देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18(3) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण।
3	श्री शीश पाल सिंह असवाल, तहसीलदार	देहरादून	उत्तरकाशी	सेवा निवृत्ति काल अत्यन्त निकट होने के दृष्टिगत स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18(3) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। उक्त कार्मिकों को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके वर्तमान तैनाती स्थल से नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक अपनी योगदान आख्या सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(सुशील कुमार)
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

संख्या : 125/9-9(1)(2022-23)

दिनांक: 07-07-2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 - आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 - जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/पौड़ी गढ़वाल/देहरादून।
- 3 - मुख्य कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/पौड़ी गढ़वाल/देहरादून।
- 4 - सम्बन्धित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।
- 5 - कार्यालय प्रति।

(सुशील कुमार)
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

आदेश

सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-124/XXX-22-30(13)2017, दिनांक 08.04.2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुसार वर्ष 2022-23 में मण्डलान्तर्गत राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के मण्डलायुक्त स्तर से एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 30.06.2022 में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नलिखित नायब तहसीलदारों को उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/ पदनाम	वर्तमान तैनाती जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का जनपद	अभ्युक्ति
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद मंगगाई, नायब तहसीलदार	चमोली	रुद्रप्रयाग	स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18(3) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण।
2	श्री बल्लू लाल, नायब तहसीलदार	रुद्रप्रयाग	चमोली	सेवा निवृत्ति काल अत्यन्त निकट होने के दृष्टिगत एवं स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18(3) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। उक्त कार्मिकों को कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। जिलाधिकारी, चमोली/रुद्रप्रयाग को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना सम्बन्धित कार्मिकों को उनके वर्तमान तैनाती स्थल से नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक अपनी योगदान आख्या सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(सुशील कुमार)

आयुक्त,

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

संख्या : 726/9-9(1)(2022-23)

दिनांक: 07-07-2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 - आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 - जिलाधिकारी, चमोली/रुद्रप्रयाग।
- 3 - मुख्य कोषाधिकारी, चमोली/रुद्रप्रयाग।
- 4 - सम्बन्धित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।
- 5 - कार्यालय प्रति।

(सुशील कुमार)

आयुक्त,

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

आदेश

सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सख्या-124/XXX-22-30(13)2017, दिनांक 08.04.2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुसार वर्ष 2022-23 में मण्डलान्तर्गत राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के मण्डलायुक्त स्तर से एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 30.06.2022 में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नलिखित नायब तहसीलदारों को उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/ पदनाम	वर्तमान तैनाती जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का जनपद	अभ्युक्ति
1	श्री हरेन्द्र खत्री, नायब तहसीलदार	देहरादून	पौड़ी गढ़वाल	स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13(1) एवं 13(6) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर जनपद पौड़ी गढ़वाल में रिक्त पद के सापेक्ष (सुगम से दुर्गम)
2	श्री आनन्दपाल, नायब तहसीलदार	पौड़ी गढ़वाल	उत्तरकाशी	स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13(1) एवं 17(ख)(छः) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर जनपद उत्तरकाशी में रिक्त पद के सापेक्ष (दुर्गम से दुर्गम)
3	श्री जसपाल सिंह राणा, नायब तहसीलदार	हरिद्वार	देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13(6) के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति के मात्र 10 माह शेष रहने के दृष्टिगत, जनपद देहरादून में रिक्त पद के सापेक्ष

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। उक्त कार्मिकों को कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरित कार्मिक अपनी योगदान आख्या सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(सुशील कुमार)

आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

संख्या : 727/9-9(1)(2022-23)

दिनांक: 7-7- , 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 - आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 - जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून/पौड़ी गढ़वाल/हरिद्वार।
- 3 - सम्बन्धित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।
- 4 - कार्यालय प्रति।

(सुशील कुमार)

आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

आदेश

सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-124/XXX-22-30(13)2017, दिनांक 08.04.2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुसार वर्ष 2022-23 में मण्डलान्तर्गत राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के मण्डलायुक्त स्तर से एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 30.06.2022 में लिये गये निर्णय के अनुसार एवं राजस्व नियम संग्रह के अध्याय-43 के पैरा-1049 में दी गई व्यवस्था के आलोक में वाहन चालक संवर्ग के निम्नलिखित कार्मिकों को उनके निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/ पदनाम	वर्तमान तैनाती जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का जनपद	अभ्युक्ति
1	श्री अवनीश कुमार प्रजापति, वाहन चालक	उत्तरकाशी	हरिद्वार	स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17(2)(ख) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर जनपद हरिद्वार में रिक्त पद के सापेक्ष (दुर्गम से सुगम)

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। स्थानान्तरिक कार्मिक को कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। उक्त स्थानान्तरण के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक स्थानान्तरित जनपद में पूर्व से कार्यरत वाहन चालक संवर्गीय कर्मचारियों से कनिष्ठ रहेगा। सम्बन्धित जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना सम्बन्धित कार्मिक को उनके वर्तमान तैनाती स्थल से नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपनी योगदान आख्या सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

(सुशील कुमार)

आयुक्त,

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

संख्या : 729/9-9(1)(2022-23)

दिनांक: 7-7-2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 - आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 - जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
- 3 - मुख्य कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
- 4 - सम्बन्धित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।
- 5 - कार्यालय प्रति।

(सुशील कुमार)

आयुक्त,

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

आदेश

सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सख्या-124/XXX-22-30(13)2017, दिनांक 08.04.2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुसार वर्ष 2022-23 में मण्डलान्तर्गत राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के मण्डलायुक्त स्तर से एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 30.06.2022 में लिये गये निर्णय के अनुसार आशुलिपिक(परिवर्तित नाम वैयक्तिक सहायक) संवर्ग के निम्नलिखित कार्मिक को उसके नाम के सम्मुख अंकित जनपद/कार्यालय में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/ पदनाम	वर्तमान तैनाती जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का जनपद/कार्यालय	अभ्युक्ति
1	श्री अभिषेक कुमार, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	उत्तरकाशी	जनपद देहरादून	दुर्गम क्षेत्र/जनपद उत्तरकाशी में 07 वर्ष 06 माह की सेवा पूर्ण होने पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-10(क) के अन्तर्गत जनपद देहरादून के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के रिक्त पद के सापेक्ष (दुर्गम से सुगम)

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना सम्बन्धित कार्मिक को उनके वर्तमान तैनाती स्थल से नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपनी योगदान आख्या सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

(सुशील कुमार)

आयुक्त,

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

संख्या : 730/9-9(1)(2022-23)

दिनांक: 7-7-2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 - आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 - जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- 3 - मुख्य कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- 4 - सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।
- 5 - कार्यालय प्रति।

(सुशील कुमार)

आयुक्त,

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।